मतदाता कौन होगा?

विश्वविद्यालय के किसी संकाय/संस्थान/महिला महाविद्यालय/राजीव गाँधी दक्षिण परिसर में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाला प्रत्येक छात्र जिसने चालू वर्ष/सेमेस्टर की फीस जमा कर दी है। (अंशकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम या अन्य तैयारी हेतु चल रहे पाठ्यक्रमों के छात्रों को मतदान का अधिकार नहीं होगा)।

संकाय स्तर की छात्र परिषद

स्नातक छात्र–प्रतिनिधि

- इस श्रेणी के अन्तर्गत चुनाव दो स्तरों पर होगा– प्रथम–कक्षा/पाठ्यक्रम एवं विषय समूह के स्तर पर, द्वितीय – वर्ष के स्तर पर। चुनाव निम्नलिखित रूप में संचालित होगाः

- स्नातक स्तर के छात्रों के प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु संकाय की प्रत्येक वर्ष की हर अनुभाग/विषय समूह के छात्रों को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जायेगा।

- वर्ष विशेषवार किसी अनुभाग/विषय समूह के छात्रों द्वारा सीधी चुनावी प्रक्रिया से निर्वाचित छात्र (वर्ष क्रमानुसार) अपनी अनुभाग/विषय समूह का प्रतिनिधि होगा।

- किसी वर्ष विशेष के स्नातक छात्रों के प्रतिनिधि के चुनाव हेतु उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि एक निर्वाचक मंडल गठित करेंगे और संकाय छात्र परिषद में स्नातक छात्रों के प्रतिनिधित्व हेतु यह निर्वाचक मण्डल उस वर्ष विशेष हेतु एक प्रतिनिधि का चुनाव करेगा। संकाय छात्र–परिषद में पाठ्यक्रम की अवधि के अनुरुप ही स्नातक छात्रों के प्रतिनिधियों की संख्या होगी।

स्नातकोत्तर छात्र–प्रतिनिधि

- इस श्रेणी में चुनाव दो स्तरों पर संचालित होंगे– १. स्नातकोत्तर स्तर पर एवं २. संकाय स्तर पर। यह चुनाव निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न होगा :

- स्नातकोत्तर छात्र–प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु संकाय के सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (समन्वित रुप से) के छात्रों को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा।

- किसी विशेष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों का एक प्रतिनिधि का चुनाव सीधी चुनावी प्रक्रिया द्वारा होगा और इस तरह से चयनित छात्र उस पाठ्यक्रम विशेष का निर्वाचित प्रतिनिधि होगा।

- संकाय के प्रत्येक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्र प्रतिनिधि (जिनका चुनाव उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न होगा) एक निर्वाचक मण्डल गठित करेंगे और संकाय छात्र–परिषद के लिए अपने में से किसी एक छात्र का चुनाव स्नातकोत्तर छात्र–प्रतिनिधि के रुप में करेंगें। (स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने वाले पंचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों को एक अलग पाठ्यक्रम माना जाएगा)।

शोध छात्र–प्रतिनिधि

इस श्रेणी के अन्तर्गत भी चुनाव दो स्तरों पर सम्पन्न होगा (क) विभागीय स्तर पर, (ख) संकाय स्तर पर

- यह चुनाव निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा संचालित होगा।
- विभाग के सभी शोध छात्र अपने बीच से किसी एक शोध छात्र को विभागीय शोध प्रतिनिधि चुनेंगे। प्रत्येक विभाग द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित छात्र–प्रतिनिधि एक निर्वाचक मण्डल गठित करेंगे जो संकाय स्तर पर छात्र परिषद हेतु (अपने बीच से) एक शोध छात्र प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे।

चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित अर्हता

- छात्र को नामांकन की तिथि के समय विश्वविद्यालय का नियमित पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए।
- छात्र द्वारा अपना शुल्क उक्त तिथि तक जमा कर दिया गया हो।
- उच्चतर माध्यमिक/10+2 पाठ्यक्रम पूर्ण कर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रविष्ट छात्रों की आयु चुनाव के समय २२ वर्ष से आर्थिक नहीं होनी चाहिये। साथ ही उनके प्राप्तांक उच्चतर माध्यमिक/10+2 स्तर पर ६० प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्वाइंट होना चाहिए। प्रथम वर्ष के अलावा अन्य वर्षों के छात्रों के लिये भी चुनाव से सद्यःपूर्व वर्ष की कक्षा में ६० प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्वाइंट होना चाहिए। पंचवर्षीय या उससे ज्यादा वर्ष के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये आयुसीमा का निर्धारण २४ वर्ष है।
- ऐसे स्नातक पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक उपाधि है, उनमें नामांकन/चुनाव तिथि तक छात्रों की आयुसीमा २४ वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उनके प्राप्तांक (स्नातक स्तर पर) ६० प्रतिशत या उसके समकक्ष ग्रेड प्वाइंट होना चाहिए।
- प्रथम वर्ष के छात्रों के अतिरिक्त अन्य छात्रों के प्राप्तांक चुनाव के वर्ष से पूर्व की परीक्षा में ६० प्रतिशत या उसके समकक्ष ग्रेड प्वाइंट होना चाहिए।
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्र की अधिकतम आयु नामांकन तिथि तक २६ वर्ष होनी चाहिये। साथ ही उसके स्नातक स्तर पर प्राप्तांक ६० प्रतिशत या उसके समकक्ष ग्रेड प्वाइंट होना चाहिए। स्नातकोत्तर द्वितीय व अन्य वर्ष के छात्रों के लिये उनके पूर्व वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक ६० प्रतिशत या उसके समकक्ष ग्रेड प्वाइंट होना चाहिए।
- समस्त शोध छात्रों को (डी.एम., एम.सी.एच. सहित) चुनाव लड़ने हेतु अधिकतम आयु नामांकन तिथि तक २८ वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही स्नातकोत्तर परीक्षा में उनका प्राप्तांक ६० प्रतिशत या उसके समकक्ष होना चाहिए।
- चुनाव में भाग लेने वाले शोध छात्र/छात्रा की पी.एच.डी. कार्यक्रम की दो वर्ष की न्यूनतम आवासीय अवधि पूर्ण नहीं होनी चाहिए।
- प्रत्याशी को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होना चाहिए साथ ही किसी भी स्थिति में उसके पाठ्यक्रम का कोई शैक्षणिक कार्य अपूर्ण नहीं होना चाहिए।
- चालू सत्र में ३० सितम्वर २०११ तक उसकी उपस्थिति कम से कम ७५ प्रतिशत होनी चाहिए। किसी भी शिक्षण संस्था द्वारा उसके विरुद्ध निष्कासन बहिष्कार जैसी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

- प्रत्याशी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए यानी उसके विरुद्ध अपराध या दुराचार संबन्धी कोई कार्यवाही न हुई हो।
- उसे कभी भी किसी प्रकार की हिंसा सांघातिक हमले या परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग के लिए दण्डित नहीं होना चाहिए।
- कोई भी छात्र छात्रपरिषद में प्रतिनिधि या अपने संकाय अथवा विश्वविद्यालय के किसी पद हेतु चुनाव लड़ने के दो अवसर पा सकेगा।

संकाय स्तर पर गठित छात्र–परिषद का स्वरूप

संकाय/संस्थान/महिला महाविद्यालय/राजीव गांधी दक्षिणी परिसर स्थित गठित छात्र परिषद में निम्नलिखित लोग होगेः

१.	निदेशक/संकाय प्रमुख/प्राचार्य/ओ.एस.डी. राजीव गॉधी दक्षिण परिसर	–	अध्यक्ष
२.	छात्र सलाहकार (पदेन)	–	उपाध्यक्ष
३.	शोध छात्रों का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
४.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
५.	स्नातक स्तर की कक्षाओं के प्रत्येक वर्ष का एक –एक प्रतिनिधि	–	सदस्य

*संस्थानों में संकाय स्तर पर गठित छात्र–परिषद में संकाय प्रमुख सह–अध्यक्ष होगा।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की छात्र–परिषद में संकायों से चुनकर आए प्रतिनिधि संकाय छात्र–परिषद के सचिव माने जायेगें और विश्वविद्यालय छात्र–परिषद से जुड़कर गोष्ठियों का संयोजन करना तथा अन्य क्रिया कलापों का संचालन उनका दायित्व होगा।

विश्वविद्यालय स्तर की छात्र–परिषद

पदाधिकारियों की अर्हता

- नामांकन की तिथि तक उसकी आयु २५ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रत्याशी द्वारा +२ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कैलेन्डर वर्ष की एक जुलाई से लेकर चुनाव होने वाले कैलेन्डर वर्ष के ३० जून तक की अवधि ७ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उसे किसी प्रकार के अनैतिक एवं नीचतापूर्ण आपराधिक कृत्य का दोषी नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार के बल प्रयोग के कार्य (जिससे किसी के जान–माल की धमकी या क्षति हो) हेतु उसे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा दण्डित नहीं होना चाहिए।
- उसे किसी विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड द्वारा किसी परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग हेतु दोषी या दण्डित नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किसी छात्र के विरुद्ध चेतावनी पत्र भी इस संदर्भ में दण्ड की श्रेणी में माना जाएगा।
- किसी पद पर निर्वाचित पदाधिकारी पुनः पद पर प्रत्याशी हेतु अर्ह नहीं होगा।

विश्वविद्यालय छात्र–परिषद का संविधान

का.हि.वि.वि. छात्र–परिषद का गठन निम्नलिखित रूप में होगा

१.	एक वरिष्ठ प्रोफेसर (संरक्षक द्वारा नामित)	अध्यक्ष
२.	छात्र अधिष्ठाता (पदेन)	उपाध्यक्ष
३.	परिषद के सभी पदाधिकारी	सदस्य
४.	प्रत्येक संकाय के प्रतिनिधि	सदस्य
५.	विस्थापित पदाधिकारियों में से कोई एक जो विश्वविद्यालय का नियमित छात्र हो (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र–परिषद के पदाधिकारीः

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र–परिषद के पदाधिकारियों का चुनाव संकायों द्वारा विश्वविद्यालय छात्र–परिषद हेतु चुने गए प्रतिनिधियों के बीच से होगा । छात्र–परिषद में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :–

१.	महासचिव	एक पद
२.	सचिव – शैक्षणिक	एक पद
३.	सचिव – छात्र कल्याण	एक पद
४.	सचिव – छात्रावास विकास	एक पद
५.	सचिव – कानून एवं अनुशासन	एक पद
६.	सचिव – स्वास्थ्य एवं आरोग्य	एक पद
७.	सचिव – सामाजिक क्रियाकलाप	एक पद
८.	सचिव – सांस्कृतिक क्रियाकलाप	एक पद
९.	सचिव – खेल–कूद	एक पद

छात्र–परिषद को शांति पूर्ण एवं नियमानुसार क्रियाशील रखने का दायित्व छात्र–परिषद के पदाधिकारियों का होगा।

छात्र–परिषद के चुनाव का संचालन

- संकाय विशेष के निदेशक/संकाय प्रमुख/प्राचार्य/ओ.एस.डी. राजीव गॉधी दक्षिणी परिसर संकाय स्तर पर छात्र परिषद के चुनाव एवं परिषद के गठन हेतु पदेन चुनाव अधिकारी होंगे व संविधान के अनुरूप संकाय छात्र–परिषद का शांतिपूर्ण चुनाव संचालन सुनिश्चित करेंगे। शोध छात्रों के प्रतिनिधि एवं स्नातकोत्तर छात्र–प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होंगे। वे संकाय के निदेशक/संकाय प्रमुख/प्राचार्य/ओ.एस.डी. राजीव गॉधी दक्षिणी परिसर की परामर्श से इस कार्य का संपादन करेंगे।
- निदेशक/संकाय प्रमुख/प्राचार्य/ओ.एस.डी. राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर स्नातक स्तर के छात्रों के (प्रत्येक वर्ष के) प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु पीठासीन अधिकारी नामित करेंगे जो चुनाव का संचालन करेंगे।
- संकाय स्तर पर छात्र–परिषद का गठन करने एवं संकाय प्रतिनिधि के नाम अध्यक्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र–परिषद के पास विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर प्रेषित करने का दायित्व निदेशक/संकाय प्रमुख/प्राचार्य/ओ.एस.डी. राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर का होगा।
- चुनाव में किसी स्तर पर बराबर मत पाने की स्थिति में अधिक आयु वाला प्रत्याशी प्रतिनिधि घोषित किया जायेगा।

- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र–परिषद का अध्यक्ष विश्वविद्यालय छात्र–परिषद के पदाधिकारियों के चुनाव का संचालन करेगा। कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र–परिषद के अध्यक्ष सहित एक चुनाव समिति का गठन किया जाएगा जिसमें छात्र परिषद का अध्यक्ष एवं छात्र–अधिष्ठाता उपाध्यक्ष होंगे। यह समिति लिंगदोह समिति की संस्तुति के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया की पर्यवेक्षक होगी एवं चुनाव सम्बन्धी किसी प्रकार की अनियमितता/शिकायत पर विचार तथा उसके निस्तारण हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेंगी।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की छात्र–परिषद के चुनाव हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक कैलेन्डर की घोषणा की जाएगी एवं निदेशक/संकाय प्रमुख/प्राचार्य/ओ.एस.डी., राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर तथा सभी विभागाध्यक्ष कैलेण्डर का यत्नपूर्वक पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण कर उसके अनुसार परिषद का गठन सम्पन्न करेंगे।

प्रत्याशियों एवं चुनाव अधिकारियों हेतु आचार संहिता

- कोई भी प्रत्याशी न तो स्वयं किसी ऐसे कृत्य में शामिल होगा और न ही प्रेरित करेगा जिससे किसी प्रकार का वैभिन्य भड़के या छात्रों के किसी वर्ग के बीच जाति, समुदाय, धर्म अथवा भाषा के स्तर पर किसी प्रकार का आपसी घृणा या तनाव का माहौल उत्पन्न हो।
- मत प्राप्त करने हेतु जाति या सम्प्रदाय की भावना कतई उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए।
- भ्रष्ट आचरण एवं अपराध की श्रेणी में आने वाले क्रिया कलापों में शामिल होना या प्रेरित करना प्रत्याशियों के लिए निषिद्ध है। उनमें मत प्राप्ति हेतु घूस देना मतदाताओं को डराना–धमकाना, मतदाता के स्थान पर दूसरे का प्रयोग, मतदान स्थल से १० मीटर की परिधि में प्रचार करना या किसी प्रकार की अफवाह फैलाना तथा मतदान स्थल तक मतदाताओं को सवारी गाड़ी से पहुँचाना आदि आते हैं। प्रचार हेतु किसी प्रत्याशी को छपे हुए पोस्टर मुद्रित पुस्तिका (पम्फलेट) या अन्य किसी छपी हुई सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।
- किसी प्रत्याशी को जुलूस निकालने, जनसभा आयोजित करने या अफवाह फैलाने वाली सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।
- कोई प्रत्याशी स्वयं या अपने समर्थकों के माध्यम से अपने किसी उद्देष्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय परिसर की किसी सम्पति को न तो विद्रूप करेगा और न ही क्षतिग्रस्त करेगा। ऐसे किसी कृत्य के लिए सभी प्रत्याशी सम्मिलित रूप से उत्तरदायी होंगे। प्रचार कार्य के लिए लाउडस्पीकर, गाड़ियों एवं पशुओं का इस्तेमाल निषिद्ध होगा।
- मतदान स्थल पर मतदाता के अतिरिक्त चालू सत्र के वैध परिचय पत्र के बगैर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। कुलपति द्वारा एक चुनाव समिति गठित की जाएगी। यदि किसी प्रत्याशी को चुनाव संचालन के संबंध में कोई खास शिकायत या समस्या होगी तो वह उसे उक्त समिति के संज्ञान में ला सकेगा/सकेगी।
- मतदान सम्पन्न होने के ४८ घंटे के अंदर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करने का दायित्व सभी प्रत्याशियों का समन्वित रूप से होगा।
- उपर्युक्त नियमों में किसी नियम का किसी रुप में उलंघन प्रत्याशी को उसकी अर्हता या चुने गए पद से (जैसी स्थिति हो) वंचित कर सकता है और विश्वविद्यालय उलंघन करने वाले के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर सकता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (भाग १५३ अ एवं अध्याय ६–अ–चुनाव से सम्बन्धित अपराध) के नियम भी छात्र–परिषद चुनाव में लागू होंगे।

छात्र–परिषद के चुनाव हेतु कार्यक्रम

१४ अक्टूबर २०११	निदेशक/संकाय प्रमुख/प्राचार्य/समन्वयक/राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर/अध्यक्ष द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन
१४ अक्टूवर, २०११	छात्रों को नामांकन–पत्र का वितरण १० बजे पूर्वाह्न से २ बजे अपराह्न तक स्थान–संकाय प्रमुख कार्यालय
१७ अक्टूवर, २०११	चुनाव प्रक्रिया का प्रारम्भ स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों के प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु प्रथम स्तर पर चुनाव हेतु नामांकन **समय– १० बजे पूर्वाह्न से २ बजे अपराह्न तक।** नामांकन–पत्र प्राप्ति के बाद तत्काल पात्रता परीक्षण
१८ अक्टूवर, २०११	पात्रता परीक्षण एवं प्रत्याशियों की घोषणा – **अपराह्न दो बजे तक।** नामांकन की वापसी **२ बजे अपराह्न से ४ बजे अपराह्न तक**। प्रत्याशियों के नाम की अन्तिम सूची की घोषणा एवं सूचना पट्ट पर चस्पा **५ बजे सायं**
२१ अक्टूवर, २०११	स्नातक स्तर के छात्रों का प्रथम चरण का मतदान **१० बजे पूर्वाह्न से २ बजे अपराह्न।** मतगणना एवं परिणाम की घोषणा उसी दिन।
२२ अक्टूवर, २०११	शोध छात्रों एवं स्नातकोत्तर छात्रों का प्रथम चरण का मतदान **१० बजे अपराह्न से २ बजे अपराह्न तक**। मतगणना एवं चुनाव परिणाम की घोषणा। चुनाव परिणाम उसी दिन सम्बन्धित संकाय प्रमुख के पास **३ बजे अपराह्न** तक प्रेषित (चुने गए प्रत्याशी के अग्रसारित नामांकन–पत्र सहित)
२२ अक्टूवर, २०११	स्नातक स्तर के छात्रों का द्वितीय चरण का नामांकन **१० बजे पूर्वाह्न से ११ बजे पूर्वाह्न** तक। मतदान – **१२ बजे पूर्वाह्न से १ बजे अपराह्न** तक। मतगणना एवं चुनाव परिणाम की घोषणा **३ बजे अपराह्न**।
२२ अक्टूवर, २०११	शोध छात्रों एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के द्वितीय चरण के मतदान हेतु नामांकन, मतदान, गणना, चुनाव परिणाम की घोषणा **३.३० बजे अपराह्न से ६ बजे अपराह्न** तक।
२३ अक्टूवर, २०११	संकाय प्रतिनिधि हेतु तृतीय चरण का नामांकन मतदान, चुनाव परिणाम की घोषणा **१० बजे पूर्वाह्न से १२ बजे मध्याह्न तक**। चुनाव परिणाम छात्र–परिषद कार्यालय में चुने गए प्रत्याशी के अग्रसारित नामांकन पत्र के साथ **३.३० अपराह्न तक** अवश्य प्रेषित किए जाने चाहिये।
२४ अक्टूवर, २०११	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्र परिषद के पदाधिकारी पद हेतु नामांकन **१० बजे पूर्वाह्न से ११ बजे पूर्वाह्न तक**। मतदान **१ बजे अपराह्न से २ बजे अपराह्न** मतगणना एवं छात्र परिषद के चुनाव परिणाम की घोषणा।

नोट : मतदाता द्वारा मत पत्र का प्रयोग व मतदान प्रक्रिया गोपनीय होगी।

*****